विनय डी. नागर

बनाम

राजस्थान राज्य

(दाण्डिक अपील संख्या 210/2007)

मार्च 03, 2008

(माननीय न्यायाधिपति पी.पी. नावलकर और लोकेश्वर सिंह पंता)

दण्ड संहिता, 1860- उपधारा 364, 450, 302 और 201 - संदिग्ध परिस्थितियों में लापता मृतक- बाद में उसका शव मिला- वह आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त के खिलाफ एक प्रमुख गवाह था- उसने धारा 161 द.प्र.सं. मे बयान दिये थे और धारा 164 द.प्र.सं. में बयान देने वाला था- निचले न्यायालयों द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्धि - अपील, अभिनिर्धारित - दोषसिद्धी सही नहीं- अभियोजन श्रृंखला बद्ध साक्ष्य से अभियुक्त की दोषिता का असंदिग्ध/स्पष्ट निष्कर्ष प्रमाणित करने में विफल रहा- मृतक के धारा 161 जाफौ के बयान धारा 162 के तहत बाधित नहीं, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) तहत स्वीकार्य नहीं- अतः दंप्रसं 1973 की धारा 161 और 162 पर विश्वास आधारित नहीं रहा जा सकता।

अपीलार्थी अभियुक्त को एक व्यक्ति की हत्या करने के अपराध में अभियोजित किया गया था। मृतक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ था। मृतक का शव अनुसंधान प्रारंभ होने के बाद मिला। मृतक अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज एक व्यपहरण के प्रकरण में प्रमुख साक्षी था, इस परिस्थिति पर अभियोजन पक्ष द्वारा विश्वास आधारित किया गया, उसका धारा 161 दप्रसं के अन्तर्गत कथन लिया गया था और धारा 164 दप्रसं के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष कथन लेखबद्ध होना शेष था और उस समय अभियुक्त का आचरण संदिग्ध रहा था। वह सुसंगत अवधि व समय के दौरान अपने कर्तव्य स्थल से बिना अनुमति अनुपस्थित रहा था और अहमदाबाद स्थित होटलों में छदम् नामों से रूका था, जबकि धारा 363 दप्रसं. के अंतर्गत लिये गये अभिकथनों में उसने सुसंगत समय के दौरान बाॅम्बे(मुंबई) में होना बताया था। अभियुक्त की अहमदाबाद से, घटनास्थल पहुंच सकने की संभावना को देखते हुये विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 364, 450, 450, 302 और 201 भादस के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और उच्च न्यायालय ने विचरण न्यायालय का निर्णय पुष्ट किया।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित - 1.1 परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामलों में दोषिता के निष्कर्ष निकालने हेतु परिस्थितियां पूण्र्स स्थापित की जानी चाहिए तथा स्थापित किये जाने वाले तथा अभियुक्त के मात्र दोषी होने की संकल्पना से

तथा संगत होने चाहिए, परिस्थितियां इस प्रकार की निश्चयात्मक प्रकृति की होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषिता से असंगत हों। अभियुक्त के निर्दोष होने की संकल्पना को अपवर्जित करती हों, परिस्थितियों की श्रृंखला इस प्रकार पूर्ण होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषिता के लिए संदेह का कोई स्थान नहीं छोड़ती हों और वे इस प्रकार की हो जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि समस्त मानवीय संभावनाओं के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा ही अपराध किया जाना दर्शित होता हों। (पेरा 5) (741-एफ, जी; 742-ए)

सी. चेंगा रेड्डी और अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य एआईआर 1996 एसएसी 3390;

पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्रप्रदेश राज्य और अन्य. 1989 (एसयूपीपी) 2 एसएससी 706 विश्वास आधारित

1.2 अभियोजन द्वारा अभियुक्त के अहमदाबाद होटल में रूकने के संबंध में कुछ होटलों में अभियोजन द्वारा परिक्षित कराये गये साक्षीगण ने अहमदाबाद स्थित कुछ होटलों में अभियुक्त के रूकने के संबंध में साक्ष्य दी थी परंतु इस आशय का कोई सबूत नहीं था कि होटलों में अभियुक्त ने छदम् नाम से चेक इन किया होगा। इस आशय का कोई सबूत नहीं था कि अभियुक्त को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया हों। अभियोजन, अभियुक्त की उपस्थिति, घटना की दिनांक को घटनास्थल पर साबित करने

में विफल रहा। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त को दोषिता को इंगित नहीं करते। परिस्थितयां जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया वे अभियुक्त की दोषिता को स्थापित नहीं करती ना ही वे अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध साबित की जाने वाली परिस्थिति की परिकल्पना को अपवर्जित करती हैं। अभियोजन परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला साबित करने में विफल रहा जिससे स्पष्ट और निष्कर्षित रूप से अपीलार्थी अभियुक्त का अपराध का दोषी होना साबित माना जा सके। (पेरा 16) (751-ए, बी, सी, डी)

2.1 धारा 162 दंप्रसं के तहत पुलिस के द्वारा अनुसंधान के दौरान लिये गये बयान साक्ष्य अधिनियम धारा 32 की उपधारा 1 के प्रावधान में लागु नहीं होंगे, ना ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को प्रभावी करते हैं। धारा 162 दंप्रसं की वर्जना - धारा 161 दंप्रसं के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गये किसी बयान की स्वीकार्यता पर धारा 162 दंप्रसं के प्रावधान तभी लागु होंगें जब उस अपराध के संबंध में अनुसंधान के दौरान लिये गये बयानों की जांच या विचारण के दौरान उपयोगिता होती हो। यदि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी उस अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध की अनुसंधान, कार्यवाही या विचारण के दौरान अध्याय 12 में बयान लिये गये हो तो धारा 162 दंप्रसं की वर्जना लागु नहीं होगी। (पेरा 9 व 10) (744-जी; 745-ए, बी)

2.2 मृतक के धारा 161 दंप्रसं के बयान उसकी मृत्यु के कारण के संबंध में नहीं थे, ना ऐसी परिस्थितियों के संव्यवहार के सबंध में थे जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई हो। मृतक के बयानों का संबंध एक बालक के व्यपहरण के प्रकरण में लिप्त होने से था और मृतक की मृत्यु से निर्देशित कृत्य से उसका दूरस्थ संबंध भी नहीं था, इस प्रकार धारा 32 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं। पुलिस अधिकारी द्वारा लिये गये बयान यद्यपि धारा 162 दंप्रसं के अन्तर्गत वर्जना नहीं होने से उक्त बयानों के सबूत के लिये यद्यपि साबित किये जा सकते हैं लेकिन धारा 32 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत यह स्वीकार्य नहीं हैं और इसलिए ऐसे बयान अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त के अपराध करने के लिये हेतु को साबित करने के लिए विश्वास आधारित नहीं किया जा सकता। (पेरा 15) (750-ई, एफ, जी)

पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर एआईआर 1939 पीसी 47;

शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1984 एससी1622;

रत्तन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एआईआर 1997 एससी 768;

कंसराज बनाम पंजाब राज्य और अन्य. एआईआर 2000 एससी 2324 विश्वास आधारित

अपराधिक अपीलार्थी न्यायक्षेत्र: दाण्डिक अपील संख्या 210/2007

दिनांक 23.11.2004 के राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच द्वारा दाण्डिक अपील (डीबी) संख्या 990/2002 में पारित अंतिम निर्णय से

अपीलार्थी की ओर से यु.यु. ललित, संजय शारावत, राजेश शर्मा और नितिन संगरा

अप्रार्थी की ओर से वी. मधुकर और सुमित घोष (अरूणेश्वर गुप्ता के लिये)

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश

पी. पी. नावलकर के द्वारा 1. विशेष अनुमति द्वारा यह आपराधिक अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा दाण्डिक अपील (डीबी) संख्या 990/2002 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 23.11.2004 के खिलाफ निर्देशित है, जिसने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था। भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आईपीसी") की धारा 364, 450, 302, 201 के तहत ।

2. अभियोजन के अनुसार प्रकरण के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार है कि कालू (मृतक) कृषि विस्तार बूंदी कार्यालय में चैकीदार था और उसकी ड्यूटी रात के समय कार्यालय परिसर में थी। वह दिनांक 15.07.2000 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता पाया गया, अतः सूचनाकर्ता रमेश चंद जैन, सहायक निदेशक ने दिनांक 15.07.2000 को प्रातः 7:30 बजे पुलिस

थाना बूंदी में लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी। रिपोर्ट के आधार पर धारा 456/364 भादस. के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के दौरान, यह पता चला कि कालू अपीलाकर्ता-विनय डी. नागर और अनय के खिलाफ धारा 365, 364, 328, 342, 323 भादस. के तहत दर्ज एक आपराधिक प्रकरण में एक प्रमुख गवाह था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ दिनांक 07.07.2000 को एक बच्चे सोनू का व्यपहरण कर लिया था और सोनू को उस कार्यालय में गया था जहां कालू चैकीदार था और उसे कुछ समय के लिए कार्यालय में रखा गया था। आरोपी और उसके साथियों की गतिविधियों से कालू को संदेह हुआ। चुंकि कालू ने आरोपी को सोनू के साथ देखा था और आरोपी उसी कार्यालय में लिपिक था, जहां कालू चैकीदार के रूप में तैनात था, इसलिए जांच अधिकारी द्वारा कालू का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी ने धारा 164 दंप्रसं के तहत कालू का बयान दर्ज करने के लिए दिनांक 12.07.2000 को मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दिया और कालू को मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई तारीख 17.07.2000 को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना था। लेकिन बीच के समय में दिनांक 19.07.2000 को उनका शव एक टेंक में मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मृतक की मौत मानव हत्या थी। अपीलकर्ता-अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया। दंप्रसं की धारा 313 के तहत अपने बयानों में, उसनें कहा कि

सुसंगत तिथि वह बाॅम्बे गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष के सबूतों के दृष्टिगत स्पष्टीकरण गलत पाया गया, और यह पाया गया कि वह अहमदाबाद गया था, ना कि बाॅम्बे, सेशन न्यायालय ने आरोपी को दोषिसिद्ध पाया और सजा सुनाई।

3. आरोपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वस्तुतः मृतक ने आरोपी को सोनू के साथ देखा था और आरोपी को मुख्य अपराधी बताया था। कालू का बयान दिनांक 10.07.2000 को धारा 161 दंप्रसं के तहत दर्ज किया गया था। दिनांक 09.07.2000 को अभियुक्त कार्यालय से अनुपस्थित हो गया तथा बिना कोई अवकाश आवेदन प्रस्तुत किये गायब हो गया। बाद में, कालू दिनांक 19.07.2000 को मृत पाया गया। उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य से पता चलता है कि अभियुक्त के पास अपराध कारित करने का एक मजबूत हेतुक और अवसर उपलब्ध रहा था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि आरोपी फरार था और इसलिए घटना के बाद आरोपी का गायब होना एक प्रासंगिक परिस्थिति थी, जिस पर विश्वसनीय खंडनीय साक्ष्य के अभाव में विचारगत किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का विचार था कि उपरोक्त परिस्थितियों से अपीलकर्ता के दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उपर अंकित परिस्थितियों की श्रृंखला सामूहिक रूप से इस प्रकार पूर्ण

थी और समस्त परिस्थितियां अभियुक्त के एकमात्र दोषिता को ही इंगित करती थी तथा उसके निर्दोष होने की किसी भी संभावना को खारीज करती थी, अतः उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की अपील खारीज कर दी गई।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यूयू ललित द्वारा यह आग्रह किया गया है कि अपीलकर्ता की सजा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन पक्ष ने अपराध के हेतुक को साबित करने के लिए दंप्रसं की धारा 161 के तहत मृतक कालू द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा किया है । विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 के साथ धारा 161 दंप्रसं को देखते हुए कालू का बयान स्वीकार्य नहीं है और इस प्रकार निचली अदालतों ने मृतक के बयान पर भरोसा करने में गलती की है। अपराध करने के अपीलकर्ता के कथित हेतुक के लिए कालू पर दंप्रसं की धारा 161 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आगे यह आग्रह किया गया कि अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है जो मात्र अभियुक्त के अपराधी होने की ओर इंगित करती हैं।

5. इस न्यायालय ने कई मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मामलों के लिए सिद्धांतों की व्याख्या की है। सी. चेंगा रेड्डी एवं अन्य के मामले में । बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एआईआर 1996 एससी 3390, इस न्यायालय ने पैरा 20-ए में इस प्रकार कहा कि

"परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में, स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियां पूर्ण होनी चाहिए और सबूतों की शृंखला में कोई अंतराल छुटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, सिद्ध परिस्थितियाँ मात्र अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषिता के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए।"

इसके अलावा, पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य , 1989 (सप्ल) 2 एससीसी 706 में , यह निर्धारित किया गया था कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना चाहिएः

1. जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें सुसंगत और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;

2. वे परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो त्रुटिहीन रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों;

3. परिस्थितियों को, संचयी रूप से लेते हुए, इतनी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और किसी और ने नहींय और

4. दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिए और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए और ऐसे साक्ष्य न मात्र अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए बल्कि उसके साथ असंगत होने चाहिए।

निर्दोषिता से; विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, वहां जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहले पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस प्रकार स्थापित तथ्य, केवल सुसंगत होने चाहिए अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना. परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि साबित करने के लिए प्रस्तावित परिकल्पना को छोड़ दिया जाए। दूसरे शब्दों में, साक्ष्यों की शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और

यह ऐसा होना चाहिए जिससे यह पता चले कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह कार्य आरोपी द्वारा ही किया गया होगा।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, वे हैं कि कालू सोनू के व्यपहरण मामले में प्रमुख गवाह था और उसने दंप्रसं की धारा 161 के तहत बयान दिया था, जिसमें कथन किया गया था कि अभियुक्त, सोनू के अपहरण के लिए जिम्मेदार था; अपीलकर्ता को यह आशंका थी कि कालू दिनांक 17.07.2000 को धारा 164 दंप्रसं के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाला बयान देगा, इसलिए अपीलकर्ता-अभियुक्त का कालू को मारने का ठोस हेतुक था; कि अभियुक्त दिनांक 10.07.2000 से बिना अवकाश लिये कार्यालय से अनुपस्थित रहा और अपने दंप्रसं की धारा 313 के बयान में उसने कहा कि वह बंबई गया था, लेकिन यह ज्ञात हुआ कि वह वास्तव में छद्म नाम से अहमदाबाद में दिनांक 11.07.2000 से दिनांक 12.07.2000 तक एक होटल में रूका था और उसके बाद एक अन्य होटल में दिनांक 14.07.2000 तक रुका था। घटना की दिनांक को आरोपी के अहमदाबाद से बूंदी पहुँचने की संभावना थी। तथ्य कि वह छद्म नाम से अहमदाबाद में रहा, अभियोजन पक्ष द्वारा उसका आचरण संदिग्ध दर्शित करने के लिए भरोसेमंद माना गया। दिनांक 15.07.2000 को कालू संदिग्ध परिस्थितियों में लापता पाया गया और दिनांक 19.07.2000 को उसका शव मिला।

7. एफआईआर संख्या 290/2000 में दर्ज मामले में पुलिस द्वारा दंप्रसं की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान में मृतक कालू ने कहा था कि वह शाम 5 बजे से 8 जुलाई की सुबह 10 बजे तक ड्यूटी पर था. रात करीब 8.30 बजे एक मारुति कार में दो लोग आए और उनके विभाग के कैशियर विनय डी. नागर मोटरसाइकिल पर आए। वे अधिकारी के कमरे में बैठ गए और फोन करने लगे। उसके पूछताछ करने पर अभियुक्त ने उसे बताया कि वह किसी परिचित को बुला रहा है। इसके बाद वह खाना लेने चला गया और जब आधे घंटे बाद लौटा तो तीनों लोग वहीं थे और वे रात 9 बजे एक ही कार में चले गए। अभियुक्त आरोपी की मोटरसाइकिल वहीं छुट गई। सुबह 5 बजे विनय गेट फांद कर ऑफिस में घुस गया. विनय ने उसे जगाया और बैग से चाबियाँ निकालीं। उसने मेन गेट खोला और कार अंदर ले आया. उन्होंने बरामदे और कमरे का शटर खोला। सबसे पहले उसने चाबियाँ लीं और कंप्यूटर रूम खोला और फिर मारुति वैन की पिछली सीट से एक बच्चे को बाहर निकाला और कंप्यूटर रूम में डाल दिया। 10-15 मिनट तक उस बच्चे को कंप्यूटर रूम में ही लिटाया गया. फिर 10-15 मिनट बाद वे लोग उस कमरे से बाहर निकले और तीनों ने बच्चे को मारुति वैन में डाला और चले गये. उसनें कहा कि उसने अखबार पढ़ा था और उसे दूसरों से पता चला कि कल रात एक लड़के का अपहरण कर लिया गया था। उसने कहा कि वह उन सभी चार व्यक्तियों को पहचान सकता हैं जो उसके पास आए थे।

8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया गया है कि व्यपहरण के मामले में मृतक के दंप्रसं की धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किया गया बयान धारा 162 सीआरपीसी के तहत स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है और इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक कालू के पुलिस द्वारा लेखबद्ध बयान पर विश्वास नहीं किया जाना था।

9. प्रश्न यह है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 290/2000 (व्यपहरण प्रकरण) के तहत दर्ज मामले में मृतक कालू का दंप्रसं की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 301/2000 (हत्या के प्रकरण) के तहत दर्ज मामले में स्वीकार्य है? धारा 162 सीआरपीसी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए धारा 162 सीआरपीसी ।

धारा 162 दंप्रसं निम्नानुसार है-

> "पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना: कथनों का साक्ष्य में उपयोग-- 1. किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, और न ऐसा कोई

कथन या उसका कोई अभिलेख चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, और न ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की, जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, किसी जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा:

परन्तु जब कोई ऐसा साक्षी, जिसका कथन उपर्युक्त रूप में लेखबद्ध कर दिया गया हैं, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता हैं तब यदि उसके कथन का कोई भाग, सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है तो, अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खण्डन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 145 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता हैं और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता हैं तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनः परीक्षा में भी, किन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण

करने के प्रयोजन से ही, उपयोग में लाया जा सकता हैं।

2. इस धारा की किसी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खण्ड (1) के उपबंधों के अन्दर आने वाले किसी कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर प्रभाव डालती हैं।

स्पष्टीकरण- उपधारा में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खण्डन हो सकता हैं यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें लोप किया गया हैं महत्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खण्डन है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न होगा।"

सीआरपीसी की धारा 162 के अनुसार, अध्याय 12 के तहत अनुसंधान के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान, यदि लिखित रूप में दिया जाता है, तो उस पर बयान देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा, न ही ऐसा दर्जबयान या उसका कोई भाग तत्समय के किसी अपराध की जांच या विचारण की कार्यवाही में

उपयोग में लाया जा सकता हैं। इस तरह के बयान का उपयोग अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुमति से अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अन्तर्गत गवाह के साक्ष्य के खंडन करने के लिए किया जा सकता हैं। धारा 162 दंप्रसं की वर्जना साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 की खण्ड (1) के प्रावधान के अंतर्गत आने वाले किसी भी बयान पर लागू नहीं होती है और यह धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी प्रभावित नहीं करती हैं। और धारा 162 दंप्रसं की वर्जना, धारा 161 दंप्रसं के अन्तर्गत दर्ज बयान के संबंध में किसी अपराध के संबंध में दिए गए बयान की जांच या विचारण के तभी है जब उक्त बयान के उपयोग की वांछा की गई हो।

10. खत्री और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, एआईआर 1981 एससी 1068 के मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 162 जांच के दौरान पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए किसी भी बयान के उपयोग पर रोक लगाती है। अध्याय 12 के तहत, चाहे पुलिस डायरी में दर्ज हो या अन्यथा। हालाँकि, धारा की स्पष्ट शर्तों के अनुसार, यह रोक केवल तभी लागू होती है जब इस तरह के बयान का उपयोग उस समय किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी जांच या विचारण में किया जा रहा हो, जब ऐसा बयान दिया गया था। यदि अध्याय 12 के तहत अनुसंधान के दौरान किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान का

उपयोग किसी ऐसे अन्य अपराध के संबंध में किसी कार्यवाही, पूछताछ या विचारण में किया जाना है, जो उस समय अनुसंधान के अधीन था, जब ऐसा बयान दिया गया था, धारा 162 की रोक लागू नहीं होगी।

11. एक लड़के के व्यपहरण के मामले की जांच के दौरान जब पुलिस अधिकारियों द्वारा दंप्रसं की धारा 161 के तहत कालू का बयान दर्ज किया गया था, तब कालू जीवित था और इस प्रकार उस बयान का उपयोग पश्चात्वर्ती कालू की कथित हत्या के अपराध के अनुसंधान में किया जा सकता था।

12. फिर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया गया कि धारा 162 की रोक हटाने पर भी, यह स्वयं पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कालू के बयान को साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं बनाएगा। साक्ष्य अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान के आधार पर ही बयान को साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है । अत: कालू के 161 के बयान पर धारा 162 की धारा लागू नहीं होगी तो भी क्या वह साक्ष्य में स्वीकार्य होगी? फिर अगला कदम यह देखना होगा कि साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के तहत यह स्वीकार्य होगा? विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, किसी ऐसे व्यक्ति का बयान जो आवश्यकता पड़ने पर प्रतिपक्षी साक्ष्य के उद्देश्य से जीवित नहीं है, केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत पूर्ण परिधि में आता हो ।

13. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में आठ धाराएँ गिनाई गई हैं, जिनमें किसी मृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान, जो नहीं मिल सकते हैं या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हैं या जिनकी अदालत में उपस्थिति नहीं हो सकती, साक्ष्य में स्वीकार किए जा सकते हैं। धारा 32 के खंड (2) से (8) वर्तमान मामले को तय करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण नहीं हैं।

प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार है--

> " वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि -- सुसंगत तथ्यों के लिखित याय मौखिक कथन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे, जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता हैं निम्नलिखित दशाओं में स्वयमेव सुसंगत है:-
>
> जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित हैं **--** जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के

बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो। ऐसे कथन सुसंगत है चाहे उस व्यक्ति, जिसने उन्हें किया है, स समय जब वे किए गए थे, मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नागत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों ना हो। "

खंड (1) कहता है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण या लेनदेन की किसी भी परिस्थिति के बारे में बयान दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तो ऐसा बयान प्रासंगिक होगा। तो प्रश्न यह है कि क्या पूर्ववर्ती जांच में मृतक कालू द्वारा दंप्रसं की धारा 161 के तहत दिया गया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के दूसरे भाग के अनुसार स्वीकार्य होगा, जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान संव्यवहार की परिस्थितियाँ जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, स्वीकार्य होगी और क्या सीआरपीसी की धारा 161 के तहत मृतक का बयान संव्यवहार की उन परिस्थितियों के अंतर्गत आता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई?

14. पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर, एआईआर 1939 पीसी 47, के मामले में यह माना गया कि केवल अपराध के हेतुक का सुझाव देने वाला एक बयान साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह संव्यवहार के साथ इतना घनिष्ठ रूप से जुड़ा न हो कि यह संव्यवहार की एक परिस्थिति हो।

शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1984 एससी 1622 के मामले में, इस न्यायालय ने पैरा 21 में निम्नानुसार कहा-

> "इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित अधिकारियों की समीक्षा और साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) की स्पष्ट भाषा से , निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं -
>
> (1) धारा 32 अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है और मरने वाले व्यक्ति के बयान को स्वीकार्य बनाती है, चाहे मौत हत्या हो या आत्महत्या, बशर्ते बयान मौत के कारण से संबंधित हो, या मौत की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों को प्रदर्शित करता हो। इस संबंध में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने, हमारे समाज की विशिष्ट स्थितियों और हमारे लोगों की विविध प्रकृति और चरित्र को ध्यान में रखते हुए, अन्याय से बचने

के लिए धारा 32 के दायरे को व्यापक बनाना आवश्यक समझा है।

(2) निकटता के परीक्षण को बहुत शाब्दिक रूप से नहीं समझा जा सकता है और व्यावहारिक रूप से इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग के पूर्ण व्यवस्थित रूप से सीमित नहीं किया जा सकता है ताकि इसे एक अत्यधिक थोपण में सीमित किया जा सके। समय की दूरी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर या भिन्न होगी। उदाहरण के लिए, जहां मृत्यु लंबे समय से चल रहे एक सतत नाटक की तार्किक परिणति है और मानो कहानी का समापन है, वहां नाटक के अंत से सीधे जुड़े प्रत्येक चरण के बारे में बयान स्वीकार्य होगा क्योंकि पूरा बयान होगा इसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और मात्र संदर्भ से उसका अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। कभी-कभी किसी तात्कालिक हेतुक से संबंधित या प्रस्तुत करने वाले बयान भी मौत के संव्यवहार के एक हिस्से के रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं। यह स्पष्ट है कि ये सभी कथन मृतक की मृत्यु के बाद ही सामने आते

हैं। उदाहरण के लिए, जहां मृत्यु विवाह के बहुत कम समय के भीतर होती है या समयावधि 3-4 माह से अधिक नहीं होती है, तो विवरण धारा 32 के तहत स्वीकार्य हो सकता है।

(3) धारा 32 के खंड 1 का दूसरा भाग इस नियम का एक और अपवाद है कि आपराधिक कानून में किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, जिसके अधीन नहीं किया जा रहा था या अभियुक्त को जिरह का अवसर नहीं मिला था। मूल्यहीन हो क्योंकि जिरह का स्थान शपथ की गंभीरता और पवित्रता द्वारा लिया जाता है, इसका सरल कारण यह है कि मृत्यु के कगार पर मौजूद व्यक्ति के गलत बयान देने की संभावना नहीं है, जब तक कि यह दिखाने के लिए मजबूत सबूत न हों कि बयान सुरक्षित था, या तो संकेत देकर या पढा-सिखाकर करके लिया गया था।

(4) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो सकता है कि धारा 32 अकेले हत्या की बात नहीं करती है बल्कि इसमें आत्महत्या भी शामिल है, इसलिए सभी परिस्थितियाँ जो हत्या के मामले को साबित करने

के लिए प्रासंगिक हो सकती हैं, आत्महत्या के मामले को साबित करने के लिए समान रूप से सुसंगत होंगी।

(5) जहां मुख्य साक्ष्य में मृतक द्वारा लिखे गए बयान और पत्र शामिल हैं जो सीधे तौर पर उसकी मृत्यु से जुड़े हैं या उससे संबंधित हैं और जो एक कहानी बताने वाली कहानी को उजागर करते हैं, उक्त बयान स्पष्ट रूप से धारा 32 की परिधि के अंतर्गत आएगा और, इसलिए, स्वीकार्य होंगे। ऐसे मात्र मामलों में केवल समयावधि ही कथन को असंगत नहीं बनाएगी"

इसके अलावा, रतन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, एआईआर 1997 एससी 768 के मामले में , इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना है:

"साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) एक बयान को प्रासंगिक बनाती है जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया था जो मर चुका है ऐसे मामलों में जहां उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत है, लेकिन इसकी स्वीकार्यता दो स्थितियों में से एक पर निर्भर करती है या तो ऐसा बयान उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित होना चाहिए या यह

संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति से संबंधित होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। धारा 32(1) में शब्दों का संयोजन संव्यवहार की परिस्थितियाँ जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, स्पष्ट रूप से परिस्थितियाँ जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई कहने की तुलना में व्यापक आयाम की है। 'परिस्थितियों' और 'मृत्यु' के बीच आवश्यक रूप से कोई प्रत्यक्ष निर्देशित संबंध होना आवश्यक नहीं है। यह पर्याप्त है यदि मृतक द्वारा बोले गए शब्द उसकी मृत्यु की परिणति के पूर्व के किसी निर्देशित संव्यवहार से संबंधित रहे हो। ऐसा बयान भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के दायरे में आएगा। दूसरे शब्दों में, यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी परिस्थिति निकटवर्ती हो, क्योंकि दूरस्थ की परिस्थितियाँ भी उप-धारा के तहत स्वीकार्य हो सकती हैं, बशर्ते इसका संव्यवहार से संबंध हो जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई हो"

कंस राज बनाम पंजाब राज्य और अन्य, एआईआर 2000 एससी 2324 के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मृतक द्वारा दिए गए धारा 32(1) के बयान पर विचार किया, जिसकी कथित तौर

पर मृत्यु हो गई थी। दहेज उत्पीड़न के लिए और पैरा 10 में निम्नानुसार कहा गया है-

> "साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 अनुश्रुत के साक्ष्य को बाहर करने के सामान्य नियम का अपवाद है और किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक बयान स्वीकार्य हैं । यदि साक्ष्य में वे उसकी मृत्यु के कारण या संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति का उल्लेख करते हैं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। धारा 32 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, मृतक के बयान की स्वीकार्यता के प्रयोजनों के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है बयान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया था जो मर चुका है या जो पाया नहीं जा सकता है या जिसकी उपस्थिति बिना किसी देरी या खर्च के प्राप्त नहीं की जा सकती है या वह साक्ष्य देने में असमर्थ है और ऐसा बयान उप अधिनियम की धारा 32 की धारा (1) से (8) में निर्दिष्ट किसी परिस्थिति में दिया गया था। धारा 32 में यह आवश्यक नहीं है

कि साक्ष्य में स्वीकार किया जाने वाला बयान मृत्यु की आसन्न प्रत्याशा में दिया गया हो। धारा 32 में आने वाले शब्द संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई का वास्तविक घटना से कुछ निकटतम संबंध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मृत्यु के कारण या संव्यवहार की परिस्थितियों से संबंधित मृतक का बयान जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, वास्तविक संव्यवहार के साथ पर्याप्त या निकटता से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे बयान को ठोस साक्ष्य बनाने के लिए, उस पर भरोसा करने वाले व्यक्ति या एजेंसी का कानूनी दायित्व है कि वह ऐसे बयान को तथ्य के रूप में साबित करे। यदि यह लिखित रूप में है, तो लेखक को अदालत में पेश किया जाना चाहिए और यदि यह मौखिक है, तो इसे उस व्यक्ति की जांच करके साबित किया जाना चाहिए जिसने मृतक को बयान देते हुए सुना है।"

15. हमने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पुलिस को दिए गए मृतक कालू के बयान का विश्लेषण किया है, हमें यह प्रतीत नहीं होता है

कि मृतक का बयान उसकी मृत्यु के कारण या किसी भी ऐसी परिस्थिति के संबंध में था, संव्यवहार जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। यह बयान एक लड़के के व्यपहरण में आरोपी की संलिप्तता के संबंध में है और इसका मृतक की मृत्यु से कोई दूरस्थ का संबंध या संदर्भ नहीं है और इस प्रकार यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत स्वीकार्य नहीं होगा । हालांकि पुलिस द्वारा दर्ज किया गया बयान साबित किया जा सकता है क्योंकि ऐसे बयान को साबित करने के लिए दंप्रसं की धारा 162 के तहत कोई वर्जना नहीं हैं, लेकिन यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत स्वीकार्य नहीं होगा। और इस प्रकार अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा अपराध करने के हेतुक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्व्ज़रा उस पर विश्वास आधारित नहीं किया जा सकता था।

16. हमने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर रखे गए सबूतों का अध्ययन किया है। किसी भी साक्षीगण ने यह नहीं बताया कि प्रासंगिक समय और सुसंगत तारीख पर, उन्होंने अभियुक्त को बूंदी में देखा था। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगणों ने इस तथ्य को साबित कर दिया है कि आरोपी अहमदाबाद के कुछ होटलों में रुका था, लेकिन इस तथ्य का कोई सबूत नहीं है कि उसने छद्म नाम देकर होटल में प्रवेश किया हो। आरोपी को आखिरी बार मृतक के साथ देखे जाने का कोई सबूत नहीं है, अभियोजन पक्ष घटना के दिन आरोपी की बूंदी में उपस्थिति

साबित करने में विफल रहा। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय ने जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया है, वे अभियुक्त के अपराध को स्थापित नहीं करती हैं, ना ही यह अभियोजन पक्ष द्वारा साबित करने के लिए प्रस्तावित किसी संकल्पना को अपवर्जित करती है अभियोजन पक्ष साक्ष्यों की श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा हैं, जिसके द्वारा कोई भी स्पष्ट व निश्चित रूप से अपराध के लिए अभियुक्त-अपीलकर्ता के अपराध को इंगित करने के निष्कर्ष पर पहुंच सकता हो।

17. उपरोक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के फैसले को अपास्थ किया जाता है। अभियुक्त-अपीलकर्ता के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाए।

के.के.टी. अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री अमित सहलोत पोक्सो कोर्ट संख्या 02, चित्तौड़गढ़, द्वारा किया गया हैं।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता हैं। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।